न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 217/2024

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रणजीतसिंह पुत्र भवानीदान जाति चारण, निवासी ठीकरिया सचिव श्री चालकनेची माताजी मंदिर धाम सेवा समिति चालकना तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा जरिये पैरोपकार राज सेड़वा

दिनांक- 05/09/24

–: निर्णय :–

प्रार्थी रणजीतसिंह पुत्र भवानीदान जातियान चारण निवासी ठीकरिया सचिव श्री चालकनेची माताजी मंदिर धाम सेवा समिति चालकना तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि यह कि गांव चालकना तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में श्री चालकनेची माताजी का पुरान मंदिर है। यह कि चालकनेची माताजी मंदिर के देख–रेख एवं पूजा बाबत् श्री चालकनेची माताजी मंदिर धाम सेवा समिति बनी हुई है, जिसका मै सचिव हूं। यह कि श्री चालकनेची माताजी मंदिर की 4.10 बीघा कृषि भूमि है जिसके खसरा संख्या 254/8 तादादी 0.7284 हैक्टर है। इस भूमि को मंदिर मूर्ति श्री चालकनेची माताजी को दानदाताओ ने दान में दिया हुआ है। इस भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से मेरे नाम चला आ रहा है। यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या की सम्पूर्ण भूमि मंदिर मूर्ति श्री चालकनेची ग्राम चालकना की है, इसलिए भूमि राजस्व रिकॉर्ड में माताजी के नाम दर्ज होनी चाहिए। यह कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम मंदिर की भूमि में गलत दर्ज है। जिसको दुरूस्त किया जाकर मंदिर श्री चालकनेची के नाम दर्ज किया जाना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से ना तो राजस्व नुकशान हो रहा है और ना ही इसमें राज्य हित जुड़ा हुआ हैं। श्रीमानजी को भूमि मंदिर मूर्ति श्री चालकनेची के ही कब्जा व अधिकार में है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खेत खसरा संख्या 254/8 तादादी 0.7284 हैक्टर रोही चालकना से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण भूमि मंदिर मूर्ति श्री चालकनेची माताजी, चालकना के नाम दर्ज करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उप. नही हुआ अतःउनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

स्वयं प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई। उक्त अनवान के सम्बन्ध में प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी स्वयं के शपथ पत्र का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी रणजीतसिंह पुत्र भवानीदान जाति चारण निवासी ठीकरिया सचिव श्री चालकनेची माताजी मंदिर धाम सेवा समिति चालकना तहसील सेड़वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चालकना पटरवार क्षेत्र भेरूड़ी भू अभिलेख क्षेत्र बामड़ला के खसरा संख्या 254/8 रकबा 0.7284 हैक्टर, भूमि में चालकना से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण भूमि मंदिर मूर्ति श्री चालकनेची माताजी, चालकना के नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/09/24 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह भाटी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा